राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग

क्रमांकःएफ.1(23)शिक्षा/ग्रुप–3/2014

जयपुर, दिनांकः २१ अप्रेल, 2015

–: आदेश :–

बजट घोषणा 2015–16 के क्रियान्वयन हेतु निम्नांकित बजट मदों में 2 नवीन राजकीय महाविद्यालयों क्रमशः राजकीय महाविद्यालय, आहोर, जिला जालौर एवं राजकीय महाविद्यालय, डेगाना, जिला नागौर खोले जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदत्त करते हुए उक्त महाविद्यालयों हेतु निम्नानुसार पदों के सृजन स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है :–

बजट मद मांग संख्या 24 –

2202–सामान्य शिक्षा, 03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, 103–राजकीय महाविद्यालय तथा संस्थान, 02–राजकीय महाविद्यालय (पुरूषों के लिये) आयोजना।

पद का नाम	पदों की संख्या		ग्रेड पे	वेतनमान
	रा.महा.,डेगाना	रा.महा.आहोर		
प्राचार्य	01	01	10000 UGC-IV	37400-67000 UGC वेतनमान
व्याख्याता	07	07	6000 UGC-I	15600-39100 UGC वेतनमान
पुस्तकालयाध्यक्ष	01	01	5400	15600-39100
शारीरिक शिक्षक	01	01	5400	15600-39100
कार्यालय अधीक्षक कम सहा.प्रशासनिक अधिकारी	01	01	4200	9300-34800
सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–1	01	01	4800	9300-34800
लिपिक ग्रेड–प्रथम	01	01	2800	5200-20200
आशुलिपिक	01	01	3600	9300-34800
लिपिक ग्रेड–द्वितीय	02	02	2400	5200-20200
प्रयोगशाला सहायक	01	01	2400	5200-20200
प्रयोगशाला वाहक	01	01	1700	4750-7440
बुल लिफ्टर	01	01	1700	4750-7440
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (रेक्सको,होमगार्ड के माध्यम से)	02	02	1700	4750-7440
योग	21	21	कुल 42 पद	

उपरोक्त स्वीकृति वित्त (व्यय–1) विभाग की आई.डी.संख्य 131500137 दिनांक 23.04. 2015 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की गई है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

29-4-15

(कन्हैया लाल अग्रवाल)

शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मंत्री, उच्च शिक्षा।
3. निजी सचिव, शासन सचिद, उच्च शिक्षा।
4. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को मय उनकी पत्रावली सं. एफ 20(107/12) आयो/आकाशि/ 2015–16 नोटशीट सहित।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–1)/संयुक्त सचिव, आयोजना (जन शक्ति) विभाग।
6. जिला कलक्टर/पुलिस अधीक्षक,जालौर/नागौर द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. कुलपति, सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, आहोर/ डेगाना द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

29/4/15

(एन.एल. जेवरिया)

सहायक शासन सचिव, उच्च शिक्षा

Scanned with CamScanner

(57)

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःएफ 20 (101 / 12) आयो / आकाशि / 2015 / 650-665 दिनांकः 1-5-2015

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
2 निजी सहायक ,अति. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
3 कुलसचिव, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय,जोधपुर को भेजकर लेख है कि महाविद्यालय का सम्बद्धन बिना विलम्ब शुल्क के करने का श्रम करें।
4 कुलसचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती, विश्वविद्यालय,अजमेर को भेजकर लेख है कि महाविद्यालय का सम्बद्धन बिना विलम्ब शुल्क के करने का श्रम करें।
5 निजी सचिव, जिला कलक्टर, नागौर।
6 निजी सचिव, जिला कलक्टर जालोर।
7 संयुक्त निदेशक, एच.आर.डी, कॉलेज शिक्षा राज,जयपुर। उक्त दोनो महाविद्यालयो में स्वीकृत पदो को भरने की कार्यवाही करें।
8 संयुक्त निदेशक, अकादमी कॉलेज शिक्षा राज,जयपुर। उक्त दोनो महाविद्यालयो में प्रवेश संबधित कार्य एवं नवीन विषय खोलने के संबंध में।
9 संयुक्त निदेशक, स्थापना, / निजी संस्थाऐ, कॉलेज शिक्षा राज,जयपुर।
10 सचिव,विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बहादुर शाह जफर मार्ग नईदिल्ली ।
11 मुख्य लेखाधिकारी कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
12 श्री सूरज मल मीना, सहायक कार्यालय अधीक्षक, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर। उक्त दोनो महाविद्यालयों की सम्बद्धता हेतु कार्यवाही करें।
13 श्री मदन सिंह निर्वाण लिपिक ग्रेड द्वितीय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
14 श्री राजेन्द्र शर्मा प्रयोगशाला सहायक, (भवन शाखा),कॉलेज शिक्षा राजस्थान,जयपुर। उक्त दोनो महाविद्यालयों के अस्थाई भवन एवं भूमि आवंटन के संबंध में।
15 बेव प्रभारी कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।
16 रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (आयोजना)

Scanned with CamScanner

(2)

For Hindi ... [illegible]

राजस्थान सरकार

शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक:प.1(23)शिक्षा / ग्रुप-3 / 2014 जयपुर, दिनांक: 14 जुलाई, 2015

आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः— राजकीय महाविद्यालय, डेगाना जिला नागौर में कला संकाय के साथ-साथ विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय प्रारम्भ किये जाने तथा 11 नवीन पदों का सृजन किये जाने की स्वीकृति बाबत्।

संदर्भः— आपकी पत्रावली संख्या एफ 20 (101)(512)/आयो/आकाशि/ 2015-16

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपकी संदर्भित पत्रावली द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के क्रम में एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा वर्ष 2015-16 के बिन्दु संख्या 111 की कियान्विति हेतु इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29.04.2015 के अनुसार राजकीय महाविद्यालय, डेगाना जिला नागौर में कला संकाय का महाविद्यालय खोले जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुये 21 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई थी। अब उक्त महाविद्यालय में कला संकाय के साथ-साथ विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय एतत्द्वारा प्रारम्भ किये जाने एवं पूर्व में सृजित पदों के अतिरिक्त निम्नांकित 11 नवीन पद और सृजित किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति एतत्द्वारा प्रदान की जाती है:-

पद का नाम	वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय हेतु नवीन पद	ग्रेड पे	वेतनमान
व्याख्याता	08 (05 विज्ञान संकाय एवं 03 वाणिज्य संकाय हेतु)	6000 यूजीसी-।	15600-39100 यूजीसी वेतनमान
प्रयोगशाला सहायक	01	2400	5200-20200
प्रयोगशाला वाहक	01	1700	4750-7440
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (टिराको / होमगार्ड के माध्यम से)	01	1700	4750-7440
योग	11		

उक्त पदों का सृजन बजट मद-मांग संख्या 24, 2202-सामान्य शिक्षा, 03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, 103-राजकीय महाविद्यालय तथा संस्थान, 02-राजकीय महाविद्यालय (पुरुषों के लिये) आयोजना के अन्तर्गत किया जाता है।

उक्त स्वीकृत पदों के प्रति वित्तीय भार उक्त लेखामद में वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु स्वीकृत बजट प्रावधान से फिलहाल वहन किया जावेगा।

Scanned with CamScanner

(9 (

उक्त स्वीकृति निम्न शर्तों/परामर्श के साथ प्रदान की जाती है:-

1. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजकीय महाविद्यालय, डेगाना जिला नागौर में कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय हेतु नवीन महाविद्यालय खोले जाने के प्रस्ताव में उपरोक्त वर्णित पदों के सृजन एवं वित्तीय प्रावधान बाबत् आयोजना विभाग की सहमति हेतु प्रस्ताव भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
2. नवीन राजकीय महाविद्यालय, डेगाना जिला नागौर के लिये भवन निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता सम्बन्धित जिला कलेक्टरों के माध्यम से सुनिश्चित करावें एवं भवन निर्माण कार्यों की अनुमानित लागत, लागत का वर्षवार विवरण वित्त विभाग को अवगत कराये जाने तथा आवश्यक बजट प्रावधान बाबत् प्रस्ताव भिजवाये जाना सुनिश्चित करावें।
3. उपरोक्त स्वीकृत पदों हेतु संस्थापन व्यय की गणना कर वित्तीय वर्ष 2015 हेतु आवश्यक प्रावधान वित्त विभाग से करवाये जाने हेतु प्रस्ताव भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
4. उपरोक्त स्वीकृति पेटे आवश्यक वित्तीय भार वर्ष 2015-16 हेतु गणना कर संशोधित अनुमान 2015-16 में समाहित किये जाने हेतु वित्त विभाग को प्रस्ताव प्रस्तुत करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

उपरोक्त स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी.संख्या 101502704 दिनांक 14.07.2015 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में प्रचलित की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

Sd/-

(कन्हैया लाल अग्रवाल)
शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मंत्री उच्च शिक्षा विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राज. जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग, राज. जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग, राज. जयपुर।
6. कुल सचिव, संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
8. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केन्द्रीय क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल।
9. विभाग द्वारा अनुच्छेद 66/एन अनुसार निर्देशित कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
10. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राज.जयपुर।
11. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, डेगाना, जिला नागौर द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर।
12. रक्षित पत्रावली।

14-07-2015

शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा